



३५४।

दूर्लाप - 2228709

2228710

नम फैला केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : २१९६ /०५/७६/एक/२०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : २५ अगस्त २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-हमीरपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी द्वीपों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार घनराशि अद्युक्त कर दी गई है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
फैंजाब नेशनल बैंक	4576000100041543	IFSC Code PUNB0457600	₹ 40.809

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	द्वितीय किएत की घनराशि का प्रेषण
1	हमीरपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	राठ (फरसीलियाना)	राठ नगर (फरसीलियाना) श्री सलीम के मकान से दिलदार के मकान तक, भूरेखों के मकान से अब्बुल खाँ के मकान तक हिमद के मकान से इगमी के मकान तक, सुलानवेंग के मकान से मुन्ना द्वाइयर के मकान व मनीराम रोशन अली के मकान से रामीर हाफिर के मकान तक, श्री महदूब हाफिज के मकान से मुन्ना मारटर के मकान तक इण्टरलाइंग कार्य तथा नाली निर्माण कार्य।	13.474
2	हमीरपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	राठ नगर (पठानपुर)	राठ नगर पठानपुरा मुहाल में हैवी के मकान से नसीर के मकान तक, श्री जफर के मकान से गुलशन के मकान तक अजमत के मकान से रज्जू के मकान तक, हैवी के मकान से कमर के मकान तक, श्याम सिंह के मकान से जहीर के मकान तक इण्टरलाइंग व नाली निर्माण कार्य।	13.114
3	हमीरपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	मौदहा (हुसैनिया)	मौदहा हुसैनिया मुहाल में कपसा रोड से श्री सफीक के मकान तक, सफीक मे मकान से कल्लू पहलवान के वाडे तक, कल्लू पहलवान के वाडे से श्री यरदानी सेठ के मकान तक इण्टरलाइंग व नाली निर्माण कार्य।	14.221
	योग				₹ 40.809

उपरोक्त अद्युक्त घनराशि का व्यय शहरी द्वीपों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी०री० रोड अथवा इण्टरलाइंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- १— उ०३० राहकार के द्वारा जारी जास्तादेशों के अनुलूप शहरी द्वीपों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाइंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- २— स्थानीय रत्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- ३— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राधान रत्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



३००२

पुस्तक 2280709

2286710

१४ लेना केन्द्र, १० अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्ण में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलिप है जिरासे कि शासकीय धन का दुल्हपथोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय रस्ते पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाय में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इरा योजना के अन्तर्गत निर्धारित रातों/योजना के प्रतिवर्षों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कराये इरा प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में गुणतान के पूर्व ध्यानियम केन्द्र, राज्य य स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्षों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के राम्यनियत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगजन के सापेक्ष हितीय विश्वता की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि एवं हितीय किला में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति राहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि वो अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, राम्यनियत जनपद।
2. आपर निदेशक, रुड़ा।।।
3. अधिकारी अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग-सूडा।

 (लाल प्रताप सिंह)
 वित्त नियन्त्रक